पत्रांक 1129 / आयु0क0उत्तरा0 / धारा–57–अनुभाग / वाणि0कर / 2015–16 / देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 30 मई, 2015

प्रार्थना पत्र संख्या – 17/17.03.2015
द्वारा– सर्वश्री सनराईज कन्टेनर्स लि0 प्लॉट न0–6, 7 इन्टीग्रेटेड इण्ड0 स्टेट, सेक्टर–2 हरिद्वार।
उपस्थिति – श्री एस0सी0 कुकरेजा, अधिवक्ता फर्म।
निर्णय का दिनांक – 20 मई, 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सनराईज कन्टेनर्स लि0 प्लॉट न0–6, 7 इन्टीग्रेटेड इण्ड0 स्टेट, सेक्टर–2 हरिद्वार, द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में व्यापारी द्वारा प्री फॉम की करदेयता के सम्बन्ध में जानना चाहा है। इस सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में PRE FORM को पैकिंग की वस्तु नहीं माना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PRE FORM से प्लास्टिक की बोतल बनती है, जिनका प्रयोग पैकिंग में हो सकता है। अतः PRE FORM अनुसूची II (ख) से आच्छादित न होने के कारण इस पर 13.5 प्रतिशत कर दायित्व होगा।

प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु श्री एस0 सी0 कुकरेजा अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी निर्माण इकाई में PRE FORM का निर्माण होता है। इसका कच्चा माल प्लास्टिक दाना होता है जिसे PET Rosin कहा जाता है। इस कच्चे माल को गर्म करके पिघलाकर PRE FORM तैयार किया जाता है। PRE FORM को बाद में गर्म करके प्लास्टिक बोतल का निर्माण किया जाता है। जिनका उपयोग पैकिंग में होता है किन्तु PRE FORM का उपयोग पैकिंग में नहीं होता है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक उनके द्वारा इस पर अवर्गीकृत श्रेणी की वस्तु के मद में 13.5 प्रतिशत कर वसूल किया जा रहा है किन्तु कुछ अन्य निर्माण इकाईयों द्वारा इस पर 5 प्रतिशत की दर से कर वसूला जा रहा है। इस कारण उनके द्वारा इस पर कर की दर स्पष्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है वह पैकिंग में प्रयोग होने वाली वस्तु नहीं है बल्कि इससे पैकिंग मैटीरियल का निर्माण किया जाता है। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची 2(ख) के कमांक 9 पर जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है वह वे वस्तुएं हैं जिनका पैकिंग सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है उसका प्रयोग पैकिंग के रूप में नहीं होता है बल्कि इससे पैकिंग मैटीरियल का निर्माण किया जाता है।

P/C

अतः इस वस्तु को प्रविष्टि संख्या 9 से आच्छादित नहीं माना जा सकता है। चूंकि यह वस्तु अनुसूची 2(ख) की किसी अन्य प्रविष्टि से भी आच्छादित नहीं है अतः इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व रहेगा।

तद्नुसार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 1129 / दिनांक : उक्त :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून / कुमाँऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार / रुद्रपुर।
8– को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, दे0दून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
13– लॉ प्रब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।

O/c